



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268619
CG-DL-E-19122025-268619

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5629]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2025/अग्रहायण 26, 1947

No. 5629]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025/AGRAHAYANA 26, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5824(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2964 (अ) दिनांक 30 जून 2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 2897 दिनांक 02 जुलाई 2025 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में बी.पी.सी.एल. इरुगुर टर्मिनल, कोयम्बतूर से देवनगोंदि टर्मिनल, बेंगलुरु तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इरुगुर- देवनगोंदि पाइपलाइन, परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलीयम कोर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलीयम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलीयम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची						
जिला : धरमपुरी				राज्य : तमिलनाडू		
क्रम सं.	गांव का नाम	तालुक	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	अढियामानकोट्टुई	नल्लमपल्ली	867/8अ5	00	01	50
			867/8अ4	00	02	57
			867/8अ3	00	03	44
			867/8अ2	00	01	05
			867/8अ1	00	03	30
			867/15ग1	00	03	46
			867/15ए1ब	00	00	50
			867/15ए1अ	00	00	50
			867/15फ1	00	03	26
2	पालयम	नल्लमपल्ली	441/3अ1	00	00	29
			441/2अ1ड	00	01	51
			441/2अ1क	00	01	28
			441/2अ1ब	00	01	21

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2018-ओआर-I/ई-27006]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5824(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. NO.2964 (E) dated 30th June, 2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition Under Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the

said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No. 2897 on 2nd July, 2025, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Irugur- Devangonhi Pipeline for transportation of Petroleum products from Irugur (Coimbatore, Tamilnadu) to Devangonhi (Bangalore, Karnataka) by Bharat Petroleum Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the land under right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of the declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Bharat Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline

SCHEDULE						
District:- Dharmapuri				State :- Tamilnadu		
Sl. No.	Name of the Village	Taluk	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
1	Adiyamankottai	Nallampalli	867/8A5	00	01	50
			867/8A4	00	02	57
			867/8A3	00	03	44
			867/8A2	00	01	05
			867/8A1	00	03	30
			867/15G1	00	03	46
			867/15E1B	00	00	50
			867/15E1A	00	00	50
			867/15F1	00	03	26
2	Palayam	Nallampalli	441/3A1	00	00	29
			441/2A1D	00	01	51
			441/2A1C	00	01	28
			441/2A1B	00	01	21

[F. No. R-11025(15)/6/2018-OR-I/E-27006]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.